05.05.25 पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी उप० ।

पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थी का

प्रा०पत्र दिनांक 14.05.2004 स्वीकार योग्य नहीं

होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर

संलग्न किया गया। पत्रावली बाद तरतीब

तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय

में सुनाया गया।

(किरण पाल)
RAS.
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना